"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 मार्च 2020 — फाल्गुन 17, शक 1941

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-2/2019/1 . — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिए "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019", जिलेवार निम्नानुसार जारी की गई थी :-

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अधिसूचना क्रमांक (3)	अधिसूचना दिनांक (4)
1.	रायपुर	एफ 15-35/15-2/2019/1/2	25-07-2019
2.	बलौदाबाजार	एफ 15-35/15-2/2019/2/3	25-07-2019
3.	गरियाबंद	एफ 15-35/15-2/2019/3/4	25-07-2019
4.	महासमुन्द	एफ 15-35/15-2/2019/4/5	25-07-2019
5.	धमतरी	एफ 15-35/15-2/2019/5/6	25-07-2019
6.	राजनांदगांव	एफ 15-35/15-2/2019/6/7	26-07-2019
7.	कबीरधाम	एफ 15-35/15-2/2019/7/8	26-07-2019
8.	बिलासपुर	एफ 15-35/15-2/2019/8/9	30-07-2019
9.	जांजगीर-चांपा	एफ 15-35/15-2/2019/9/10	30-07-2019
10.	कोरबा	एफ 15-35/15-2/2019/10/11	30-07-2019
11.	मुंगेली	एफ 15-35/15-2/2019/11/12	30-07-2019
12.	बस्तर	एफ 15-35/15-2/2019/12/13	31-07-2019
13.	कोण्डागांव	एफ 15-35/15-2/2019/13/14	31-07-2019

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	नारायणपुर	एफ 15-35/15-2/2019/14/15	31-07-2019
15.	कांकेर	एफ 15-35/15-2/2019/15/16	31-07-2019
16.	दन्तेवाड़ा	एफ 15-35/15-2/2019/16/17	31-07-2019
17.	सुकमा	एफ 15-35/15-2/2019/17/18	31-07-2019
18.	बीजापुर	एफ 15-35/15-2/2019/18/19	31-07-2019
19.	सरगुजा	एफ 15-35/15-2/2019/19/20	03-08-2019
20.	सूरजपुर	एफ 15-35/15-2/2019/20/21	03-08-2019
21.	बलरामपुर	एफ 15-35/15-2/2019/21/22	03-08-2019
22.	कोरिया	एफ 15-35/15-2/2019/22/23	03-08-2019
23.	रायगढ़	एफ 15-35/15-2/2019/23/24	07-08-2019
24.	जशपुर	एफ 15-35/15-2/2019/24/25	07-08-2019
25.	दुर्ग	एफ 15-35/15-2/2019/25/26	23-08-2019
26.	बालोद	एफ 15-35/15-2/2019/26/27	23-08-2019
27.	बेमेतरा	एफ 15-35/15-2/2019/27/28	23-08-2019

चूंकि उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भिन्न-भिन्न याचिकाएं प्रस्तुत की गई, जिसके फलस्वरूप सोसाइटियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया बाधित हो गई.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP (C) No. 3031/2019 एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 22-11-2019 द्वारा विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की कंडिका 08 को अपास्त (Struck down) किया गया है, किन्तु सोसाइटियों के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई है.

अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिए उपरोक्त तालिका अनुसार सभी जिलों की "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" की "कंडिका 05-पुनर्गठन की प्रक्रिया" को उपान्तरित करता है. उक्त पुनर्गठन योजना 2019 की "कंडिका 08-प्रबंध" को छोड़कर शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी. उपान्तरित पुनर्गठन की प्रक्रिया अनुसार सभी जिलों की "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" का क्रियान्वयन किया जाए.

संलग्न :- उपान्तरित पुनर्गठन की प्रक्रिया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019 की कंडिका–05 का उपान्तरण

कंडिका–05 :– पुनर्गठन की प्रक्रिया :– पुनर्गठन की उपान्तरित प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(क) जिले के उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा जिले की समितियों के पुनर्गठन के संबंध में दावा आपत्ति आमंत्रित करने हेतु सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन एवं समिति/बैंक शाखा एवं मुख्यालय/विभाग के जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने का कार्य ''उपान्तरित पुनर्गठन की प्रक्रिया'' प्रकाशित होने की तारीख से 05 दिवस तक किया जाएगा।

(ख) समिति के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के सदस्य, सोसाइटियों एवं बैंक शाखा तथा अन्य द्वारा दावा आपत्तियां 15 दिवस की समयावधि में जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेंगे।

(ग) प्राप्त दावा आपत्ति का परीक्षण जिले के उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैंक (शाखा प्रबंधकों आदि) के साथ संयुक्त रूप से प्रस्ताव का परीक्षण का कार्य एवं परीक्षण उपरांत दावा–आपत्ति का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अनुसूची 1, 2 एवं 3 में टीप सहित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को पृष्ठांकित करते हुए संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को 30 दिवस में प्रेषित किया जाएगा।

अभ्यावेदन निराकरण के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में रखा जावेगा :–

(एक) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों के समितियों के लिए 1.00 करोड़ रुपये हों।

(दो) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा।

(तीन) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा (घ) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा।

(चार) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी।

(पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो, अर्थात् एक ग्राम पंचायत व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो।

(छः) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो।

(सात) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो।

(आठ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो।

(नौ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो, जहां पर गोदाम, अन्य आधारभूत संरचना निर्मित हो।

(घ) जिलों के उप/सहायक पंजीयक द्वारा दावा आपत्तियों के निराकरण से असंतुष्ट होने पर संबंधित सदस्य/व्यक्ति संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के समक्ष 07 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा, जिसका निराकरण 07 दिवस में संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा किया जाएगा, उक्त कार्यवाही के उपरांत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अभिमत प्राप्त कर, जिलावार अनुसूची 1, 2, 3 सहित प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को पृष्ठांकित करते हुए पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को 15 दिवस में भेजा जाएगा।

(ङ) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अभिमत के साथ जिलावार अनुसूची 1, 2, 3 सहित प्रस्ताव पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ की ओर 10 दिवस में प्रेषित किया जाएगा।

(च) पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य शासन को प्रस्ताव 10 दिवस में प्रेषित किया जाएगा।

(छ) राज्य शासन द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा तथा अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।

(ज) अभ्यावेदनों पर राज्य शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरान्त संबंधित प्राधिकारी 15 जुलाई, 2020 तक आवश्यक आदेश तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.